इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 15, शक 1932

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2010

सूचना

एफ 13-2-2005-17-मेडि-2.—मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उक्त समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**17. उपचर्यागृह की अपेक्षाएं.**—(1) उपचर्यागृह रखने वाला या उसका स्वामी, उपचर्यागृह की उन अपेक्षाओं को, जो अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट की गई है, समस्त समयों पर पूरी करेगा :

परंतु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व से ही रजिस्ट्रीकृत उपचर्यागृह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.

(2) कोई उपचर्यागृह, निजी चिकित्सालय या रूजोपचार संबंधी स्थापना इस आधार पर कि पुलिस / वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं, किसी दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, जलने और आपराधिक हमलों और जहरखुरानी (विषाक्तन) के ऐसे मामलों में, जो उपचर्यागृह, निजी चिकित्सालय या रूजोपचार संबंधी स्थापना में स्वयं आए हों या लाए गए हों, आवश्यक प्राथमिक उपचार देने और/या जीवनरक्षक या उनकी स्थिति स्थिर बनाए रखने के लिये ऐसे अन्य आपातकालीन उपायों से, जो उस स्थापना के लिये उपयुक्त हों, इंकार नहीं करेगा.

(3) उपचर्यागृह/निजी चिकित्सालय उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं तथा विशेष उपचार को प्रमुख रूप से प्रवेश पर संप्रदर्शित करेगा.

(4) उपचर्यागृह/निजी चिकित्सालय ऊपर उपनियम (3) में बताई गई सेवाओं तथा विशेष उपचार को उपलब्ध कराने में लगे चिकित्सा कार्मिक/विशेषज्ञों के नाम प्रमुख रूप से प्रवेश पर संप्रदर्शित करेगा.

(5) कोई भी उपचर्यागृह/निजी चिकित्सालय ऐसे रोगी को नहीं देखेगा या भर्ती नहीं करेगा जिसे विशेष उपचार के चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता हो जो वह उपलब्ध नहीं करवा रहा है.

(6) उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी उपचर्यागृह अथवा निजी चिकित्सालय, केवल इस आधार पर की उक्त उपचर्यागृह/निजी चिकित्सालय अपेक्षित वह सेवा/विशेष चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाता है, किसी ऐसे रोगी के प्राथमिक उपचार और/ या ऐसे जीवन रक्षक या उसकी स्थिति स्थिर बनाए रखने के लिये अपेक्षित आपातकालीन उपायों से इंकार नहीं करेगा, जिसे कि ऐसी सेवा/विशेष उपचार की आपातकालीन उपचार के रूप में आवश्यकता हो, तथापि, रोगी स्थिति जैसे ही स्थिर हो जाती है, उपचर्यागृह/निजी चिकित्सालय रोगी को किसी ऐसे संस्थान में भेजेगा जहां कि अपेक्षित सेवा/विशेष उपचार उपलब्ध करवाया जाता हो.''.

NOTICE

F 13-2-2005-XVII-M-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules, 1997, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 14 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 14 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely :—

"17. Requirements of Nursing Home.—(1) The keeper or owner of the nursing home shall fulfill at all times the requirement of a nursing home as specified in Schedule II :

Provided that the nursing homes already registered prior to the date of commencement of these rules shall fulfill the requirements within a period of ninety days from the date of coming into force of these rules.

(2) No Nursing Home, Private Hospital or Clinical establishment shall deny necessary first aid and/or such other life saving or stabilizing emergency measures, appropriate to that establishment, on the ground that police/statutory formalities are not completed to any accident victim, seriously injured, burn and the cases of criminal assault and poisoning which present themselves or brought at the Nursing Home, Private Hospital or Clinical establishment.

(3) The Nursing Home/Private Hospital shall display prominently at reception, the services and speciality it is providing.

(4) The Nursing Home/Private Hospital shall display, prominently at reception, the names of medical personnel/ specialist engaged to provide the services and speciality declared vide sub-rule (3) above.

(5) No Nursing Home/Private Hospital shall entertain or admit such patient who may be in the need of medical services of the speciality it is not providing.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), no nursing home or private hospital shall deny necessary first aid and/or such life saving or stabilizing emergency measures to any patient requiring emergency treatment of such service/speciality which the nursing home/private hospital is not providing on the grounds that the said nursing home/private hospital is not providing the particular serivce/speciality required. However, as soon as the patient is stabilized, the nursing home/private hospital shall refer the patient to such institution which is providing the required service/speciality.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला मार्टिन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.